द्वारा ई–मेल/फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर–1, चतुर्थ तल, गोमती नगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ 226010

संख्याःअठ्ठारह–एएसआई(लिपिक)–271–2017–159 दिनांकःमार्च 30, 2020

DGP HQRS UP LKW
NO 18-ASI(Lipik)-271/2017 DTD 30-03-2020

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 एवं यथा संशोधित सेवा नियमावली–2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्याःपीआरपीबी–चार–(4)–2019 दिनांक 27.03.2020 द्वारा निम्नलिखित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) को शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड–5 में दिये गये प्राविधानों के आलोक में 12 मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक उनके सापेक्ष रिक्त रखे गये कुल 12 पदों के सापेक्ष काम चलाउ प्रबन्ध के रूप में तैनाती के सीमित उद्देश्य से पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर चयन समिति द्वारा स्थानापन्न प्रोन्नति हेतु चयनित किये जाने एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर अस्थाई रूप से स्थानापन्न पदोन्नति अग्रिम आदेश तक के लिए प्रदान की जाती है। यह काम चलाउ प्रबन्ध आगामी चयन अथवा मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो, तक के लिए ही होगी। इन कर्मियों के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 28.05.1997 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उक्त कर्मियों में से जो कर्मी पूर्व से स्थानान्तरणाधीन थे, उनका स्थानान्तरण आदेश वर्तमान पदोन्नति पद पर भी प्रभावी रहेगा।

क्र0 सं0	पी0एन0ओ0	नाम सर्व श्री	गृह जनपद	नियुक्ति स्थान	चयन का वर्ष
1	972800367	रवीन्द्र कुमार त्यागी	हापुड़	पीएसी अनुभाग मेरठ	स्थानापन्न–2017
2	970020318	सुरेन्द्र यादव	गोण्डा	10वीं वाहिनी पीएसी बाराबंकी	स्थानापन्न–2017
3	970020321	कमल कुमार विमल	बिजनौर	पीएसी अनुभाग अयोध्या	स्थानापन्न–2017
4	972690067	संतोष कुमार तिवारी	वाराणसी	बलिया	स्थानापन्न–2017
5	972121664	विवेक कुमार गुप्ता	बदायूं	02वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर	स्थानापन्न–2017
6	972220039	अनिल कुमार राय	गाजीपुर	मीरजापुर	स्थानापन्न–2017
7	972560133	सागर सिंह यादव	फतेहपुर	04वीं वाहिनी पीएसी	स्थानापन्न–2017
8	972080693	राजकमल पाठक	गोण्डा	उन्नाव	स्थानापन्न–2017
9	971070040	शम्भू सिंह यादव	गाजीपुर	भदोही	स्थानापन्न–2017
10	972500023	मनोज कुमार गिरी	बलिया	प्रयागराज	स्थानापन्न–2017
11	970020350	अशोक कुमार त्यागी	गाजियाबाद	पीएसी जोन मुरादाबाद	स्थानापन्न–2017
12	972690777	अरूण कुमार पाण्डेय	चन्दौली	जौनपुर	स्थानापन्न–2017

2. उक्त पदोन्नति काम चलाउ प्रबन्ध आगामी चयन अथवा मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो, तक के लिए ही होगी।

3. मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण की दशा में उपरोक्त स्थानापन्न पदोन्नति पाये कर्मियों को पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) पद पर प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

4. स्थानापन्न अस्थाई पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया

Scanned with CamScanner

जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ :-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र निर्गत किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनो परिस्थितियाँ सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

5. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) को पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6. यदि सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) द्वारा स्वघोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **http://uppolice.gov.in** पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक- प्रारूप (क)

DGP HQRS UP LKW

NO. 18-ASI(Lipik)-271-2017 DTD 30-03-2020

30/3/2020

(डा0 राकेश शंकर)

पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ/पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी पश्चिमी जोन मुरादाबाद/पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग मेरठ/पीएसी अनुभाग अयोध्या/पुलिस महानिरीक्षक, शहीद गुलाब सिंह लोधी पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बलिया/भदोही/उन्नाव/प्रयागराज/जौनपुर/सेनानायक, 10वीं वाहिनी पीएसी बाराबंकी /02वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर/04वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि उक्त **कर्मियों कार्यभार ग्रहण करने की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।**

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि-अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

Scanned with CamScanner

प्रारूप–"क"
स्वघोषणा–पत्र

मैं,------------------------(नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र -----------निवासी---------------थाना---------जनपद----------- वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)----------------- नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:–

(क) "मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2– उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3– यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनॉक तथा कारण -----

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई---------में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉक:---------- को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0----------- धारा------------थाना ---------- जनपद---------में लम्बित है, जिसमें दिनॉक:---------को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी--------------द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में----------स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुवित स्थान/दिनॉक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:–स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।

Scanned with CamScanner